



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 299 राँची, बुधवार,

24 मई, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

12 मई, 2023

विषय:-राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु निजी मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-256 (9)--झारखण्ड राज्य के अंतर्गत छः (06) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं दो (02) निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित हो रहा है। जो निम्नवत् है:-

क्रम0	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम	एम0बी0बी0एस0 सीटों की संख्या
1.	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची	180
2.	एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर	100
3.	शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद	50

4.	शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हजारीबाग	100
5.	फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका	100
6.	मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पलामू	100
7.	मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, बारीडीह, जमशेदपुर (निजी)	150
8.	लक्ष्मी चन्द्रवंशी मेडिकल कॉलेज, विश्रामपुर, पलामू (निजी)	100
कुल		880

2. वर्तमान में राज्य अंतर्गत निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान/पारामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान एवं डेंटल कॉलेज के प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय संकल्प सं0-32(10) दिनांक-02.02.2016 द्वारा शुल्क निर्धारण निम्नवत् किया गया है:-

क्रम0	कोर्स	एक सत्र के लिए निर्धारित राशि (रूपये में)	
		सामान्य कोटि/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I /पिछड़ा वर्ग-II एवं अन्य	v0t0tk0@v0tk0
1.	जी0एन0एम0	रू0 2,500/- प्रति छात्र	: 0 1]000@& ifr Nk=
2.	बी0एस0सी0 नर्सिंग	रू0 2,500/- प्रति छात्र	: 0 1]000@& ifr Nk=
3.	ए0एन0एम0	रू0 1,000/- प्रति छात्र	: 0 400@& ifr Nk=
4.	अन्य सभी पारा मेडिकल	रू0 2,000/- प्रति छात्र	: 0 800@& ifr Nk=
5.	डेंटल कॉलेज के प्रशिक्षणार्थी	रू0 10,000/- प्रति छात्र	: 0 4]000@& ifr Nk=
6.	एम0एस0सी0 नर्सिंग के प्रशिक्षणार्थी	रू0 3,500/- प्रति छात्र	: 0 2]000@& ifr Nk=

3. पूर्व में राज्य में निजी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित नहीं था। जिसके कारण निजी मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु

कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था। वर्तमान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत दो (02) चिकित्सा महाविद्यालय यथा-मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, बारीडीह, जमशेदपुर एवं लक्ष्मी चन्द्रवंशी मेडिकल कॉलेज, विश्रामपुर, पलामू संचालित हो रहा है।

मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, बारीडीह, जमशेदपुर के एम०बी०बी०एस० छात्रों को शव परीक्षण (Post-mortem) का प्रशिक्षण एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर में करने की अनुमति दी गयी है, परन्तु प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं होने के कारण इसमें व्यावहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है।

4. राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा क्लीनिकल प्रशिक्षण प्राप्त करने की स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित करने हेतु विभागीय आदेश-सह-ज्ञापांक-594(9) दिनांक-24.11.2022 द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा एम०बी०बी०एस० छात्रों के लिए डेन्टल कॉलेज के अनुरूप ही शुल्क यथावत् रखने की अनुशंसा की गयी है। इसके अतिरिक्त Private Medical Students के Postmortem training के लिए सामान्य कोटि/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I /पिछड़ा वर्ग-II एवं अन्य के लिए ₹ 5,000/- प्रति छात्र एवं अ०ज०जा०/अ०जा० के लिए ₹ 3,000/- प्रति छात्र शुल्क निर्धारण की अनुशंसा की गयी है।

5. अतः निदेशक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कमिटी की अनुशंसा के आलोक में निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय के यू०जी० एवं पी०जी० कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों को राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में क्लीनिकल प्रशिक्षण एवं Private Medical Students के Postmortem training के लिए निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया जाता है-

एम०बी०बी०एस० (क्लीनिकल प्रशिक्षण)	एक सत्र के लिए निर्धारित राशि (रूपये में)	
	सामान्य कोटि/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II एवं अन्य	व०त०त०क०@व०त०क०
	₹ 10,000/- प्रति छात्र	: 0 4]000@& ifr Nk=
Post mortem training	प्रशिक्षण हेतु निर्धारित राशि (रूपये में)	
	सामान्य कोटि/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II एवं अन्य	व०त०त०क०@व०त०क०
	₹ 5,000/- प्रति छात्र	: 0 3]000@& ifr Nk=

6. प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त शुल्क की राशि को मुख्य शीर्ष-0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-उप मुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान-लघु शीर्ष-105-एलोपैथी-उप शीर्ष-02-चिकित्सा शिक्षा के लिए शिक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कविस्तृत शीर्ष-01-प्राप्तियाँ-01-प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा।

7. विभागीय संलेख ज्ञापांक-205(9) दिनांक-19.04.2023 में निहित उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-27.04.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।
